2024 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 में आराजी स0न0 4449 रकबा 0.14है0 बारानी प्रथम लल्लू पुत्र सुन्दर जाति माली सा0देह गैरखातेदार को ग्राम वजीरपुर में उप जिला कलेक्टर महो0 गंगापुर सिटी के आवटन रजिस्टर में अंकित आवंटन सलाहकार समिति के कार्यवाही विवरण दिनांक 23.06.1990 में आवंटन होने पर नायब तहसीलदार वजीरपुर के आदेश कमांक 1255 दिनांक 11.12.2007 से आराजी खसरा नम्बर 4449 रकबा 0.14है0 किस्म बारानी प्राथम भूमि का जरिये नामान्तकरण संख्या 105 ग्राम वजीरपुर मे गैरखातेदारी स्वीकृत की जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 में गैरखातेदार का नोट अंकित किया गया। ग्राम वजीरपुर में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 के मुताबिक खसरा नम्बर 4449 रकबा 0.14 है0 बारानी प्रथम दर्ज है। जो उक्त जमाबन्दी केक खाता नं0 615 के अनुसार लल्लू पुत्र सुन्दर जाति माली सा0देह गैरखातेदार दर्ज है। आवंटी लल्लू पुत्र सुन्दर जाति माली सा0देह गैरखातेदार द्वारा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एव भू–अभिलेख निरीक्षक के मौके पर सम्वत् 2065–71 तक कोई काश्त नहीं की गई है एवं मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर आबादी बनी हुई है एवं कुछ हिस्से पर चारों तरफ दीवार बनी हुई है। जो गैरखातेदार व उसके भाईयों ने बना रखी है एवं रास्ते के साहरे दुकाने बनी हुई है। उक्त आराजी पर गैरखातेदार एवं उसके भाईयों का कब्जा है, साथ की पेरोकार सरकार ने आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लधंन करने के कारण आवंटी का आंवटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 4449 रकबा 0.14है0 वाके ग्राम वजीरपुर अप्रार्थी को आवंटन हुई थी जो आम रास्ता खसरा नम्बर 4976 के सटंवा है और उसके लगते ही खसरा नम्बर 4448 जवाबदार व उसके भाईयों की आराजी 44 ऐयर वजीरपुर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 4449 को जब प्रार्थी काश्त करता है तो आम रास्ते की वजह से पशु व आने जाने वाले आदमी उसे नष्ट कर देते है। प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन संबंधित पत्रावली की प्रमाणित नकल न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। जो प्रार्थना पत्र के साथ अति आवश्यक है, साथ ही प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन वर्ष 1990 अथार्त अर्थात् सम्वत् 2047 में होना बताया है। आवंटन नियम के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष तक भूमि काश्त होना आवश्यक है। लेकिन प्रार्थी द्वारा आवंटन के तीन वर्ष तक सम्वत् 2047–50 तक उक्त भूमि काश्त हुई है अथवा नहीं इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है,साथ की वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है, साथ ही प्रार्थी द्वारा आवंटन के पश्चात् की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं करना पाया गया। जिससे स्पष्ट नहीं हो सकता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् बाद आराजीयात काश्त की है अथवा नहीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ए
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट